प्रेस–विज्ञप्ति

हरीश चन्द्र दुर्गापाल जी, मा0 मंत्री, श्रम, सेवायोजल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एम0एस0एम0ई0, खादी एवं ग्रामोद्योग, दुग्ध विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आज दिनांक 01–02–2016 को पूर्वान्ह 1100 बजे विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में राज्य में औद्योगिक प्रतिष्ठानों / उद्यमों / दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों के द्वारा श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पारदर्शी पंजीकरण एवं लाईसेंस के ऑनलाईन प्रोसेसिंग, श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत श्रमिकों के मानकों के प्रतिपालन की स्वप्रमाणित स्वैच्छिक योजना एवं त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक विवरणों, सूचनाओं का प्रेषण की प्रक्रिया एवं श्रम अधिनियमों की सूचनाओं का श्रम विभाग के ऑनलाइन विभागीय पोर्टल का क्लिक का बटन दबाकर शुभारम्भ किया गया। श्रम विभाग के इस पोर्टल के अधीन निम्नलिखित अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकरण एवं लाईसेंस तथा नवीनीकरण का कार्य ऑनलाईन किया जाना सम्भव हो सकेगाः–

1. कारखाना अधिनियम, 1948
2. मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, 1961
3. उत्तराखण्ड दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962
4. संविदा श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970
5. अंतराज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979
6. भारतीय ब्वायलर अधिनियम, 1923
7. उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 2005

श्रम विभाग के इस विभागीय पोर्टल का निर्माण मैसर्स मार्ग साफ्टवेयर साल्यूशन्स, लखनऊ के द्वारा कराया गया है। साफ्टवेयर साल्यूशन्स एजेंसी की ओर से टीम लीडर श्री अजीत कुमार वर्मा के द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं उद्योग प्रतिनिधियों को सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। मा0 श्रम मंत्री जी द्वारा विभागीय सचिव, उत्तराखण्ड शासन, श्रम आयुक्त एवं श्रम विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा की गयी एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा उपस्थित औद्योगिक संगठनों से श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत दिये गये श्रम मानकों के अनुपालन की पारदर्शी प्रक्रिया के ऑनलाईन पोर्टल के उपयोग की अपेक्षा की गयी। साथ ही मा0 श्रम मंत्री जी द्वारा सचिव, श्रम से इस विभागीय पोर्टल में सम्मिलित प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी प्राप्त की गयी तथा सचिव, श्रम को ऑनलाईन पोर्टल के प्रचार–प्रसार के उपरांत दिनांक 01 मार्च, 2016 से इस प्रक्रिया को अनिवार्य किये जाने हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये।

श्री आर0 के0सुधांशु, सचिव श्रम, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय अधिकारियों एवं उद्योग प्रतिनिधियों की शंकाओं का निराकरण कर उनके सुझावों को समय–समय पर इस पोर्टल में सम्मिलित किये जाने का आश्वासन दिया गया। डा0 आनन्द श्रीवास्तव, श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा बताया गया कि इस विभागीय पोर्टल को लॉच किये जाने के उपरांत जनपदों के औद्योगिक प्रतिष्ठानों / उद्यमों / वाणिज्यिक अधिष्ठानों के द्वारा इस पोर्टल के उपयोग के प्रचार–प्रसार हेतु औद्योगिक आस्थानों शिविर आयोजित किये जायेंगे। कार्यक्रम में श्री आर0 के0 सिंह, उप निदेशक, कारखाना एवं ब्वायलर, श्री अनिल पेटवाल, उप श्रम आयुक्त, कुमायूं मण्डल, श्री एन0सी0 कुलाश्री, सहायक श्रम आयुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि श्री विपुल डॉबर, श्री नरेन्द्र बत्रा, श्री राजीव बैरी, श्री अरूण राघव, श्री हरेन्द्र गर्ग, श्री पंकज गुप्ता, श्री बलवंत सिंह, श्रीमती पूर्णिता सेठी, श्री आशुतोष बर्मन एवं श्रीमती विभा मल्होत्रा आदि उपस्थित रहे। औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा श्रम विभाग के ऑनलाईन पोर्टल शुरू किये जाने पर मा0 श्रम मंत्री जी, सचिव, श्रम, उत्तराखण्ड शासन एवं श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं श्रम विभाग के अधिकारियों के इस अनूठे प्रयास की प्रशंसा की गयी।

01/02/2016

वरिष्ठ निजी सचिव
माननीय मंत्री
श्रम, सेवायोजन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान